[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 02/2021-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि..... (अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(i)** में सा.का.नि. 488(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् **:-**
उक्त अधिसूचना की सारणी में**,**-

(i) क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "11 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी **;**
(ii) क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "8 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

3. इस अधिसूचना की कोई बात उस माल पर लागू नहीं होगी, जिसका विनिर्माण 1 फरवरी, 2021 को या उसके पहले किया गया हो और उसकी निकासी 2 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् की गई हो ।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 488(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 05/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संख्या सा.का.नि. 278(अ), तारीख 5 मई, 2020 द्वारा संशोधन किया गया है ।